मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल
आदेश

क्रमांकः 542 /2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31-3-2007

वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/3/2003/नियम/चार दिनांक 25-9-2006 के द्वारा राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लेखा संधारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है । इस योजना के अन्तर्गत शासकीय सेवक के अंशदान तथा समतुल्य शासन अंशदान की जमा राशि पर देय ब्याज मुख्य शीर्ष 2049- ब्याज भुगतान, उप मुख्य शीर्ष 03 अल्प बचत एवं भविष्य निधियों पर ब्याज, लघु शीर्ष 117 परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज, उपशीर्ष (01) परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज के अंतर्गत विकलनीय है ।

2/ वर्ष 2006 - 07 में योजना अन्तर्गत शासकीय सवेकों के अंशदान एवं समतुल्य शासन अंशदान की राशि पर 8% की दर से ब्याज की गणना कर माँग संख्या 06 वित्त मुख्य शीर्ष 2049 ब्याज अदायगियाँ (6854) अंशदायी पेंशन योजना, 52 ब्याज/ लाभांश भुगतान 001 ब्याज के अन्तर्गत वर्ष 06-07 में प्रावधानित राशि रूपये 1 2,00,000/- मे से विकलित करते हुये पुस्तकीय समायोजन के द्वारा मुख्य शीर्ष 8342 अन्य जमा, 117 विविध जमा के अन्तर्गत, उपयुक्त उपशीर्ष में महालेखाकार के द्वारा अंतरित की जायेगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(एए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांकः 543 /2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31-3-2007

प्रतिलिपि

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / (आडिट)-1/2, म.प्र. ग्वालियर / भोपाल
2. संचालक, पेंशन, म.प्र.
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

o/c

Sunita/04/04/07//67